संख्या-131/2024/I/527959/2024/23-11099(099)/4/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 22/03/2024**

विषय:- जनपद अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 25.393 तक के मध्य (लम्बाई 23.943 कि0मी0) 04 लेन में चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य के संरेखण के अन्तर्गत चैनेज 14.800 से 17.700 एवं 18.900 से 21.100 , लम्बाई 5.100 कि0मी0 छावनी परिषद अयेध्या के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण कार्य छावनी परिषद अयोध्या से डिपाजिट मद के रूप में कराये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-254/पी0जे011/15पी0जे0/23, दिनांक 22-09-2023, पत्र संख्या-414/पी0जे0-11/15पी0जे0(1)/22, दिनांक 23-01-2024 एवं पत्र संख्या-500/पी0जे011/15पी0जे0/24, दिनांक 06-03-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धमार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-100/2023/I/290982/2023/23-11099(099)/4/2023, दिनांक 21-03-2023 द्वारा जनपद अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 25.393 तक के मध्य (लम्बाई 23.943 कि0मी0) 04 लेन में चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य की लागत रू0 114024.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत कार्य के संरेखण के चैनेज 14.800 से 17.700 एवं 18.900 से 21.100, लम्बाई 5.100 कि0मी0 छावनी परिषद अयोध्या के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण उक्त लम्बाई 5.100 किमी0 में मार्ग के चौडीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य की लागत रू0 6828.83 लाख (रू0 अडसठ करोड अट्ठाईस लाख तिरासी हजार मात्र) का कार्य छावनी परिषद अयोध्या से डिपाजिट मद के रूप में कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों सहित श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृत मूल लागत रू0 114024.06 लाख में छावनी परिषद अयोध्या से डिपाजिट मद के रूप में कराये जाने वाले कार्य की लागत रू0 6828.83 लाख सम्मिलित है। इसी लागत में उक्त कार्य सम्पादित कराया जाय।

2- छावनी क्षेत्र की रक्षा भूमि पर 5.100 कि0मी0 मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य होने के उपरान्त उसका स्वामित्व व रख-रखाव छावनी परिषद अयोध्या द्वारा पूर्ण रूप से किया जायेगा और समय-समय पर अन्य छावनी परिषद के मार्गो के तरह ही मरम्मत आदि का कार्य छावनी परिषद द्वारा किया जायेगा।

3- कार्य सम्पादन के समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छावनी क्षेत्र में आम जनमानस व 14 कोसी परिक्रमा के समय परिक्रमा उत्सव में यातायात पूर्व की भांति चलता रहेगा।

4- छावनी परिषद् अयोध्या द्वारा डिपाजिट मद के रूप में किए जाने वाले कार्य की विशिष्टियाँ एवं मानक, मूल स्वीकृत परियोजना के अनुरूप सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता(अयोध्या क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, अयोध्या का होगा।

5- प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत छावनी परिषद् अयोध्या से डिपाजिट मद के रूप में उक्त कार्य कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन की प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्राविधानों का उल्लंघन न हो।

http://shasanadesh.up.gov.in/

2- यह आदेश अशासकीय संख्या-E-8-1490-X-2023-24-दिनांक: 22-03-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/